प्रेस नोट
जनपद-संतकबीरनगर
दिनाँक 03.04.2026

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पाक्सो एक्ट के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 03.04.2026 को थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 138/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अब्दुल मजीद हाजी पुत्र अब्बास अली निवासी बाघनगर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 02.04.2026 को थाना दुधारा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील कार्य करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 03.04.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0 उ0नि0 श्री उदय शंकर द्विवेदी, का0 रंजन कुमार सिंह।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.04.2026 को अभियुक्त नाम पता अमर मणि त्रिपाठी पुत्र स्व0 महेन्द्र नाथ त्रिपाठी निवासी डुमरी नेवास थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को कटया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 77/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अमर मणि त्रिपाठी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- अमर मणि त्रिपाठी पुत्र स्व0 महेन्द्र नाथ त्रिपाठी निवासी डुमरी नेवास थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर। (650 ग्राम अवैध गांजा)

बरामदगी का विवरणः-

- ❖ कुल 650 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- उ0नि0 श्री राधेश्याम, उ0नि0 श्री रामनयन आर्या, का0 रोहित कुमार, का0 सन्तोष चौहान।

चोरी की 11 मोबाइल (अनुमानित कीमत 02 लाख रुपये लगभग) व 02 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद

थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित मोबाइल चोरी की घटना का खुलासा

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.04.2026 को अभियुक्तगण नाम पता 01. रामप्रवेश राजभर पुत्र सीताराम निवासी बालूशासन थाना कोतवाली खलीलाबाद को बड़गो से अजगइवा घाट के तरफ जाने वाली रोड के पास से 02. छोटू राजभर उर्फ मामा पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी ग्राम बनौली थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को ग्राम पटखौली के पास RTO आफिस से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 233/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम रामप्रवेश राजभर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 234/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम छोटू राजभर उर्फ मामा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

मोबाइल चोरी की घटना- दिनांक 01.04.2026 को वादी श्री इकरार खान पुत्र अनवर खान निवासी ईट भट्ठा स्थल ग्राम दशहरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर स्थायी पता आलमपुर रानी, बरला जनपद अलीगढ़ के द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि हम जैन ईट भट्ठा रसहरा (दशहरा) में मजदूरी का काम करते है और हमारे साथ कई लोग काम करते है, दिनांक 28.03.2026 की रात में खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा हम 04 लोगो का मोबाइल चुरा ले गये। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 224/2026 धारा 305(a),331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- रामप्रवेश राजभर पुत्र सीताराम निवासी बालूशासन थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर। (01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा)
- छोटू राजभर उर्फ मामा पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी ग्राम बनौली थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर। (01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा)

बरामदगी का विवरणः-

- ❖ कुल 02 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा।
- ❖ 11 अदद मोबाइल बरामद चोरी का।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने स्वीकार किया कि हम दोनो रात के समय गांवों और चौराहों पर सो रहे लोगों के मोबाइल चोरी करते है। चोरी के मोबाइल और अवैध गांजा बेचकर वे अपना जीविकोपार्जन करते है। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के पास गांजा रखने व बेचना का वैध कागजात मांगा गया तो बताये कि मेरे पास कोई वैध कागजात नही है। हम लोगो के पास से जो मोबाइल बरामद हुआ उसमे से 04 मोबाइल जैन ईट भट्ठा रसहरा (दशहरा) से चोरी किये थे, बाकी मोबाइल भिन्न भिन्न स्थानों से चोरी किया गया था।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे, उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार तिवारी, उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 राकेश कुमार गौड़, का0 उमेश कुमार।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.04.2026 को अभियुक्तगण नाम पता 01. समशुद्दीन पुत्र स्व0 अनवर जयाल निवासी बरदहिया बाजार मस्जिद के पीछे थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को औद्योगिक क्षेत्र श्मशान घाट के पास से 02. सचिन चौहान पुत्र हीरा लाल चौहान निवासी बगहिया शिवम होटल के सामने थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जंगलकला नहर पुलिस जेल बाउण्ड्री के पीछे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 231/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम समशुद्दीन के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 232/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम सचिन चौहान के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- समशुद्दीन पुत्र स्व0 अनवर जयाल निवासी बरदहिया बाजार मस्जिद के पिछे थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर। (1000 मिली अवैध स्मैक)
- सचिन चौहान पुत्र हीरा लाल चौहान निवासी बगहिया शिवम होटल के सामने थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर। (800 मिली अवैध स्मैक)

बरामदगी का विवरणः-

- कुल 1800 मिली अवैध स्मैक।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- उ0नि0 श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री सुर्यभान यादव, उ0नि0 श्री लाल बिहारी निषाद, हे0का0 छोटेलाल सिंह, का0 सत्येन्द्र कुमार यादव, का0 मो0 अलीम।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 206 वाहनों से 2,23,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 03.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 206 वाहनों से 2,23,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते झपटमारी के मामले में 03 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.04.2026 को मु0अ0सं0 37/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण नाम पता 01. अरुण पुत्र अशोक यादव निवासी बरई टोला वार्ड नं0 03 थाना कोतवाली खलीलाबाद 02. मोहम्मद अफजल उर्फ दोने पुत्र मोहम्मद रईस निवासी पठान टोला वार्ड नं0 14 थाना कोतवाली खलीलाबाद 03. राज जायसवाल पुत्र स्व0 रमाकान्त जायसवाल निवासी मोतीनगर वार्ड नं0 22 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जंगल बेलहर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- अरुण पुत्र अशोक यादव निवासी बरई टोला वार्ड नं0 03 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मोहम्मद अफजल उर्फ दोने पुत्र मोहम्मद रईस निवासी पठान टोला वार्ड नं0 14 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- राज जायसवाल पुत्र स्व0 रमाकान्त जायसवाल निवासी मोतीनगर वार्ड नं0 22 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अदद लॉकेट पीली धातु।

विदित हो कि थाना बेलहरकला पर दिनांक 23.02.2026 को लिखित प्रार्थनापत्र दिया गया कि वादी की पुत्री घर के सामने स्थित गुटखे-सिगरेट की दुकान पर अचानक 03 व्यक्ति एक मोटर साइकिल से गुटखा लेने के लिए मोटर साइकिल से रुके 02 व्यक्ति मोटर साइकिल पर बैठे थे, 01 व्यक्ति प्रार्थी के पुत्री के पास गुटखा व सिगरेट लेने के बाद अचानक उस व्यक्ति द्वारा मेरे पुत्री के गले का मंगलसूत्र झपट्टा मारकर भाग गये । प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 37/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही कर उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- व0उ0नि0 वीरेन्द्र कन्नौजिया, उ0नि0 श्री मातिबर सिंह यादव, का0 मनीषचन्द, का0 लक्ष्मीकान्त तिवारी।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर हेल्प डेस्क थाना बखिरा द्वारा 30,000 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर हेल्प डेस्क थाना बखिरा द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को **30,000** रुपये की धनराशि उनके खातों में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

पीड़ित सनोज कुमार मौर्य पुत्र अशोक कुमार मौर्य निवासी नरायनपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अज्ञात साइबर अपराधी ने रिश्तेदार की फेक फेसबुक आइडी से पीड़ित का रिश्तेदार बनकर किसी आकस्मिक व्यक्तिगत जरूरत और मजबूरी का हवाला देते हुए अपराधी ने पीड़ित से 30000/- माँगे। बाद में हकीकत पता चलने पर पीड़ित को अहसास हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है।

पुलिस कार्यवाही: पीड़ित द्वारा थाना बखिरा स्थित साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए म0आ0 सुमन कुमारी द्वारा तत्काल NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत की गई और संबंधित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से पुर्ण धनराशि को होल्ड कराया और विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश से आज आवेदक के खाते में धनराशि (30,000 रुपया) वापस करा दी गयी।

अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर पीड़ित ने साइबर हेल्प डेस्क टीम बखिरा का सहृदय आभार व्यक्त किया है। *साइबर हेल्पडे स्क टीम:-* व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, आरक्षी चन्द्रभान सिंह, महिला आरक्षी अनामिका सिंह, म0आ0 सुमन।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।